

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 68 /2022 दिनांक : 13.05.2022

श्रीमती रजनी कुमावत (RJ0924), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 16.05.2022 से 21.05.2022 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 15.05.2022 एवं 22.05.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती कुमावत की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, चित्तौड़गढ़ के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
2.05.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/95/2015/3693

दिनांक : 13.05.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 2416 दिनांक 21.04.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रजनी कुमावत (RJ0924), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, चित्तौड़गढ़।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, चित्तौड़गढ़।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़।

13.05.2022
सहायक रजिस्ट्रार